कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज

(प्रशाखा- साक्षरता)

आम-सूचना

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों से संबंधित अवमाननावादों को एक साथ सूचीबद्ध करते हुए दिनांक- 22.08.2019 को पारित आदेश से निष्पादित कर विभाग को आदेश दिया है कि वैसे सभी अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक जिन्होंने समायोजन हेतु निर्धारित अवधि अर्थात् 26.02.2016 तक माननीय न्यायालय में वाद दायर किया है और जिनके समायोजन संबंधी दावे को जिला स्तरीय कमिटि द्वारा अस्वीकृत/खारित कर दिया गया है उसपर पुनर्विचार किया जाना है। यह कार्रवाई केवल वैसे अनुदेशकों के संबंध में की जानी है, जो कमिटि द्वारा दावा अस्वीकृत किये जाने से असंतुष्ट है। स्पष्ट है कि केवल न्यायिक वाद के वादियों से ही आपत्ति प्राप्त की जानी है।

- **केवल वैसे अनुदेशकों के समायोजन पर विचार किया जाना है जो -**

1. जिला स्तरीय कमिटि द्वारा दावा अस्वीकृत/खारिज किये जाने से असंतुष्ट है या किसी कारणवश दावा नहीं किया जा सका हो।
2. आपत्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि 09.10.2019 तक
3. आपत्ति प्राप्ति के अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. जिला स्तरीय कमिटि द्वारा आपत्तियों की समीक्षा दिनांक- 15.10.2019 (समीक्षा के क्रम में वादीगण उपस्थित रहेंगे)।
5. अनौपचारिक शिक्षा योजना की समाप्ति के समय अर्थात् 31.03.2001 को कार्यरत रहे हो।
6. अनौपचारिक शिक्षा योजना की समाप्ति के पूर्व लगातार तीन वर्षों तक कार्यरत रहे हो।
7. संबंधित अनुदेशकों द्वारा समायोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दिनांक- 26.02.2016 तक कोई वाद दायर किया हो।
8. भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का नाम विभाग द्वारा संलग्न **Petitioners** की जिलावार सूची में अंकित हो।
9. दिनांक- 31.03.2001 को कार्यरत रहने संबंधी नोटरी द्वारा निर्गत **Affidavit** जिसमें अंकित हो कि समर्पित सभी दस्तावेज सही है तथा इनके **False**/जाली पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
10. पहचान-पत्र की एक सत्यापित प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित तीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लाना अनिवार्य है।
11. तीन फोल्डर में दस्तावेज यथा जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र आरक्षण कोटि का लाभ हेतु प्रमाण-पत्र, माध्यमिक उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र एवं 31.03.2001 को कार्यरत रहने का प्रमाण-पत्र इत्यादि जमा करना अनिवार्य है। समर्पित दस्तावेजों से मिलान हेतु मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, किशनगंज	जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज	निदेशक, डी.आर.डी.ए. किशनगंज।

ज्ञापांकः-184 दिनांकः-24.9-2019।

प्रतिलिपिः- सभी संबंधित अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सभी के0आर0पी0, जिला-किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि प्रखंड के प्रमुख स्थलों यथा बी0आर0सी0, प्रखंड कार्यालय, प्रमुख कार्यालय आदि अन्य सभी प्रमुख स्थलों पर उक्त सूचना चिपकाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः- आई0टी0 प्रबंधक, समाहरणालय किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि **NIC, Kishanganj** के **Website** में उक्त सूचना का प्रकाशन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः- जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ समर्पित।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, किशनगंज	जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज	निदेशक, डी.आर.डी.ए. किशनगंज।